बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि०/स्था०17–24/2018 17 /पटना, दिनांकः– 14/01/22

कार्यालय आदेश

श्री निरंजन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, अररिया संप्रति सेवानिवृत कनीय सांख्यिकी सहायक को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक–15.04.2018 को 40,000/–(चालीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०–016/2018 दिनांक–15.04.2018 धारा–7,भ्र०नि०अधि०, 1988 दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6215 दिनांक–14.05.2018 के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–1459/अप०शा० दिनांक–02.04.2018 द्वारा निदेशालय, मुख्यालय को दी गयी। प्राप्त पत्र की सम्यक समीक्षा के उपरांत निदेशालय के का०आ०सं०–186 सहपठित ज्ञापांक–1112 दिनांक–24.05.2018 द्वारा श्री शर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(2)(क) में अंकित प्रावधानों के तहत श्री शर्मा के न्यायिक हिरासत में जाने की तिथि दिनांक–15.04.2018 से निलंबित किया गया। पुलिस अधिक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–1737/अप०शा० दिनांक–21.05.2018 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 की धारा–7 एवं परिवर्तित धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(डी०) भ्र०नि०अधि०, 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति की मांग की गयी जिसके आलोक में निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–202 सहपठित ज्ञापांक–1234 दिनांक–08.06.2018 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। श्री शर्मा की सेवानिवृति दिनांक–31.05.2018 होने के कारण इन्हें निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–194 सहपठित ज्ञापांक–1171 दिनांक–01.06.2018 द्वारा दिनांक–31.05.2018 के अपराह्न से निलबंन से मुक्त किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा पत्रांक–776/स्था० दिनांक–03.11.2018 के माध्यम से श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु निदेशालय को प्रेषित किया गया जिसकी समीक्षा के उपरांत निदेशालय के द्वारा आरोप पत्र का पुनर्गठन किया गया। आरोप पत्र पर निदेशालय के पत्रांक–95 दिनांक–22.11.2019 द्वारा श्री शर्मा से बचाव में लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी जिसके प्रत्युत्तर में इन्होंने दिनांक–27.02.2019 को अपना अभ्यावेदन निदेशालय में समर्पित किया जिसमें इन्होंने अपने विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को नकराते हुए आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया। श्री शर्मा के स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–142 सहपठित ज्ञापांक–1051 दिनांक–29.05.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक–256 दिनांक–01.06.2020 के द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध संचालित विभगीय कार्यवाही को श्री संजय कुमार अग्रवाल, जॉच आयुक्त–सह–सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित किया गया। जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक–521/स्था० दिनांक–01.07.2019 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री सलीम अख्तर, भूमि सुधाार उप समाहर्त्ता, अररिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

श्री निरंजन शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

"(i) आपने अपने न्यायालय में चल रहे वाद संख्या–63–M/18 में आदेश पारित करने हेतु मो0 हसन, पिता– स्व0 मो0 आलमगीर ग्राम–इस्लामनगर, थाना–अररिया टाउन, जिला–अररिया से 40,000/–(चालीस हजार) रूपये की राशि रिश्वत लिया। रिश्वत की राशि लेते हुए आपको निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके लिए आप पूर्ण रूप से दोषी एवं जवाबदेह हैं।

(ii) आपके न्यायालय में चल रहे वाद संख्या–63– M/18 में आदेश पारित करने के क्रम में आपको उभय पक्षों को बुलाकर आदेश पारित करना चाहिए था। किन्तु मो0 हसन के आवेदन दिनांक–03.04.2018 से स्पष्ट होता है कि आपने मात्र एक पक्ष को बुलाकर आदेश पारित करने हेतु 50,000/–(पचास हजार) रूपये की माँग किया। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक निगरानी–सह–थानाध्यक्ष, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को संबोधित पु0अ0नि0 भीम सिंह, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्र से होती है। आपका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के विरूद्ध है।

(iii) मो0 हसन, पिता–स्व0 मो0 आलमगीर, ग्राम–इस्लामनगर, अररिया के आवेदन पत्र के क्रम में मो0 जमीरूउद्दीन, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के नेतृत्व में धावा–दल का गठन किया गया। धावा दल द्वारा आपके कार्यालय कक्ष में धावा दिया गया जिसमें धावा दल द्वारा मो0 हसन को उपलब्ध कराये गये नोट आपके हाथ में पाया गया। साथ ही आदेश पर रखे गये अभिलेख संख्या–63–M/18 भी धावा–दल द्वारा आपके टेबुल से बरामद किया गया। आपके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर सफेद घोल गुलाबी रंग का हो गया। जिसके लिए आपके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0–016/2018 दिनांक–15.04.2018, धारा–7 भ्र0नि0अधि0, 1988 एवं परिवर्तित धारा–13(2)–सहपठित धारा–13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 दर्ज किया गया और आपको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आपका यह कार्यकलाप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के विरूद्ध है एवं भ्रष्ट आचरण का परिचायक है।"

3. संचालन पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक–197/गो० दिनांक–29.09.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जॉच प्रतिवेदन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को प्रेषित किया गया। प्रेषित जॉच प्रतिवेदन में जॉचोपरांत निम्निलिखित निष्कर्ष अंकित किये गये:–

(i) (क) आरोपित पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०–01 में वर्णित परिवादी के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत वाद सं०–63–M/18 से उक्त परिवादी का कोई संबंध नहीं है। मो० हसन प्रथम अथवा द्वितीय पक्ष से संबंधित पक्षकार नहीं है। साथ ही मो० हसन तथा उस्मान दोनों भाई बंटवारा के फलस्वरूप अलग रहते हैं। साथ ही प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मो० हसन एवं उस्मान दोनों सगे भाई हैं एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम से स्पष्ट है कि मो० हसन से 40,000/–(चालीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोपित पदाधिकारी को पकड़ा गया है। मो० हसन द्वारा किस प्रकार एवं क्यों मो० उस्मान की ओर से आरोपित पदाधिकारी को रिश्वत देने की पहल की गयी यह आपराधिक वाद से संबंधित विशेष न्यायालय द्वारा जॉच का विषय है। पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मो० हसन के माध्यम से ही आरोपित पदाधिकारी को रिश्वत स्वरूप 40,000/–

(चालीस हजार) रूपये देते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसके पूर्व ब्यूरो के सत्यापन पदाधिकारी श्री भीम सिंह, पु०अ०नि० द्वारा आरोपित पदाधिकारी के कार्यालय में परिवादी मो० हसन के साथ ही जाकर परिवाद का सत्यापन किया गया था।

(ख) आरोपित पदाधिकारी द्वारा इंगित तथ्यों के अनुसार प्री–ट्रैप मेमोरेण्डम एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम के अवलोकन से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का तर्क त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है। प्री–ट्रैप मेमोरेण्डम के अनुसार सत्यापन पदाधिकारी के सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक–15.04.2018 को समर्पित करने के पश्चात् धावा दल का गठन दिनांक–15.04.2018 को ही किया गया। उक्त प्री–ट्रैप मेमोरेण्डम में ही धावा दल द्वारा कथित छापेमारी के लिए दिनांक–16.04.2018 की तिथि निर्धारित की गयी। इस प्रकार वास्तविक छापेमारी भी सम्प्रति 16.04.2018 (सोमवार) को की गयी होगी जो पोस्ट–ट्रैप मेमोरेण्डम से संपुष्ट होता है।

(ii) आरोप सं०–02 के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किया गया तर्क यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 से संबंधित उक्त वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–17.03.2018 को ही पूर्ण कर ली गयी थी एवं आदेश सुरक्षित रखा गया था। अत्यधिक कार्यबोझ के कारण उन्होंने दिनांक–13.04.2018 को तत्कालीन पेशकार मो० मतीन को डिक्टेशन दिया था, वह लिखकर 16.04.2018 को हस्ताक्षर हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु उसी समय निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छापामारी की घटना घटी और अभिलेख ब्यूरो की टीम द्वारा बरामद (जब्त) कर ली गयी।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य को रेखांकित (Highlight) किया गया है कि दिनांक–17.03.2018 को अंतिम सुनवाई के पश्चात् 15.04.2018 तक आदेश पारित करने की प्रक्रिया लंबित रहना प्रमाणित है। मूल परिवाद पर मो० हसन का परिवादी होना एवं मो० हसन के हस्ताक्षर होने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा आपत्ति की गयी है, परन्तु मो० उस्मान का परिवाद में हस्ताक्षर होना परिवादी में उनकी सहमति को प्रमाणित करता है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि मो० उस्मान (वास्तविक पक्षकार) का वह हस्ताक्षर नहीं था।

(iii) आरोप सं०–03 के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी का यह तर्क है कि पोस्ट–ट्रैप मेमोरेण्डम मो० हसन (परिवादी) द्वारा रिश्वत देने के पहले उनके द्वारा रिश्वत मांगने का कहीं उल्लेख नहीं है। उनका यह तर्क परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद ब्यूरो द्वारा उसका सत्यापन तथा प्री–ट्रैप मेमोरेण्डम से अप्रासंगिक प्रतीत होता है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ब्यूरो ने जिसे स्वतंत्र गवाह बनाया है उसका निवास स्थान 40 कि०मी० दूर है। उक्त छापेमारी की सम्पूर्ण गोपनीय प्रक्रिया में ब्यूरो द्वारा स्वतंत्र गवाह बनाया जाना ही पर्याप्त है।

इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बचाव के सभी तर्क अप्रासंगिक है, फलतः स्वीकारयोग्य नहीं है।

निष्कर्ष :–

आरोप सं०–01 :– प्रमाणित

आरोप सं०–02 :– प्रमाणित

आरोप सं०–03 :– प्रमाणित

4. संचालन पदाधिकारी के द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाए गए आरोपों के लिए श्री शर्मा से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–1295 दिनांक–08.10.2021 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की

गई, जिसका उत्तर इन्होंने दिनांक–08.11.2021 को निदेशालय को समर्पित किया। प्राप्त अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि इन्होंने अपने अभ्यावेदन में उन्हीं बातों का उल्लेख किया है जिसका उल्लेख इन्होंने निदेशालय द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण तथा विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान संचालन पदाधिकारी के सक्षम प्रस्तुत किया था।

5. श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोप, जिला पदाधिकारी, अररिया के द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य, संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत समर्पित जॉच प्रतिवेदन तथा जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोप पर आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की सम्यक समीक्षा के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होते है :–

(i) श्री शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, अररिया के न्यायालय में चल रहा वाद संख्या–63–M/18 विचाराधीन था। इसमें मो० हसन, पिता–मो० आलमगीर, ग्राम–इस्लामनगर, थाना–अररिया टाउन, जिला–अररिया से संबंधित मामले जिसमें जमीन का खाता संख्या–243 खेसरा संख्या–424, रकबा–4 कट्ठा का विवाद मो० अफाक आलम, पिता–स्व० हाजी फेकु खान, भगत टोला, वार्ड नं०–1 से चल रहा था। इस मामले में अररिया थाना द्वारा 107/44 दण्ड प्रक्रिया से संबंधत प्रतिवेदन अनुमंडल दण्डाधिकारी, अररिया के पास भेजा गया जिसका वाद केस संख्या–63–M/18 श्री शर्मा को हस्तांतरित करते हुए निर्णय हेतु भेजा गया था।

(ii) श्री शर्मा के द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई दिनांक–17.03.2018 को पूरी कर ली गयी तथा आदेश सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी मो० हसन द्वारा इनके विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में परिवाद दायर कर आरोप लगाया गया कि श्री शर्मा इनके पक्ष में उक्त वाद में निर्णय देने हेतु 50,000/– (पचास हजार) रूपये की मांग कर रहे है। इस कारण इनके द्वारा आदेश निर्गत नहीं किया जा रहा है। कालांतर में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसकी जॉच किए जाने के उपरांत मामले को सत्य पाते हुए निगरानी धावा दल का गठन कर श्री शर्मा को परिवादी मो० हसन से दिनांक–15.04.2018 को 40,000/–(चालीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

श्री शर्मा के द्वारा दिनांक–17.03.2018 से लेकर दिनांक–16.04.2018 तक इस वाद में निर्णय नहीं किए जाने का कारण सरकारी कार्यो की व्यस्तता का उल्लेख अपने स्पष्टीकरण में किया गया जबकि जब उभय पक्षों तथा उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दी गई दलीलों पर सुनवाई पुरी कर ली गई थी। तब इन्हें आदेश जारी कर देना चाहिए था। एक माह तक कार्यो की व्यस्तता के कारण आदेश निर्गत नहीं किए जाने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

(iii) श्री शर्मा ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया है कि परिवादी द्वारा रूपये इनके टेबल क्लॉथ के नीचे छोड़ा गया होगा। परंतु इन्होंने इस बात के संबंध में कोई भी साक्ष्य, अभिलेख अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया कि 40,000/(चालीस हजार) रूपये इनके हाथ में कैसे आ गए जिसमें लगा हुआ रसायन इनकी उँगलियों में लग गया। जब इनका हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग सफेद से गुलाबी हो गया। रूपये इनके हाथ में कैसे आ गए इसका उल्लेख इनके द्वारा कहीं नहीं किया गया है। इससे यह साबित होता है कि इन्होंने परिवादी से रूपये की मांग की थी। श्री शर्मा का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रतिकूल एवं सरकारी सेवा की शूचिता (santity) का सीधा अवक्रमण है।

उक्त वर्णित संपूर्ण तथ्यों के आधार पर श्री शर्मा का अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री निरंजन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, अररिया संप्रति सेवानिवृत कनीय सांख्यिकी सहायक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(क) तथा नियम–139(ख) में अंकित किये गये प्रावधान के तहत **आदेश निर्गत की तिथि से इनका संपूर्ण पेंशन जब्त किये जाने का दण्ड** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(बैद्यनाथ यादव)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–24/2018 144 /पटना, दिनांक :– 14/01/22

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–6215 दिनांक–14.05.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1737 दिनांक–21.05.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला पदाधिकारी, अररिया को उनके पत्रांक–776 दिनांक–03.11.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया, जिला–अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. श्री निरंजन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, अररिया सम्प्रति–सेवानिवृत कनीय सांख्यिकी सहायक, पता–घर–दुधामठिया, पो०–रतनमाला, थाना–मंझौलिया, जिला–पश्चिम चम्पारण (बेतिया), बिहार, पिन–845454 को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 14/1/2022